झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰ / 57 / 16 – 8 / ,राँची / दिनांकः 27 / 07 / 2017

अभियंत्रण पाठ्यक्रम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश)– 2017 {Engineering Course Competitive Examination (Lateral Entry) - 2017} के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय साक्षात्कार (Second Round of Counselling) से संबंधित विस्तृत सूचना

दिनांक 30.04.2017 को आयोजित अभियंत्रण पाठ्यक्रम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश)–2017 के आधार पर दिनांक 02.06.2017 से दिनांक 05.06.2017 तक आयोजित प्रथम् साक्षात्कार के दौरान पर्षद द्वारा नामांकन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के संबंधित संस्थानों में नामांकनोपरांत रिक्त सीटों पर अनुशंसा भेजने के लिये द्वितीय साक्षात्कार दिनांक 01.08.2017 को लिया जाना निर्धारित है। साक्षात्कार Computerized Multi Table Parallel Counselling के माध्यम से की जायेगी। संस्थानवार / शाखावार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर "Live (Current) seat Matrix of of Diploma (Lateral Entry)" Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो या तो प्रथम् साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरांत संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या प्रथम् साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर सीट / शाखा / संस्थान का चयन नहीं किये हैं।

2. प्रथम् साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्ववत् सीट / शाखा / संस्थान के पुर्नआवंटन हेतु नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति **या** संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण पत्र (Bonafide certificate) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संस्थान के स्तर पर कौन–कौन से मूल प्रमाण–पत्र रखे गये हैं। संस्थान में जमा किये गये प्रमाण–पत्रों की छाया–प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा सीट / शाखा / संस्थान का आवंटन नहीं किया जायेगा। वैसे नामांकित अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें जाति प्रमाण–पत्र की, संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित, छाया–प्रति प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

3. उपरोक्त कंडिका के अतिरेक अन्य सभी अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों / दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों / दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी और ना ही इस आधार पर सीट / संस्थान का आबंटन किया जाएगा।

(क) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र, **(ख)** डिप्लोमा पाठ्यक्रम सभी वर्ष / सेमेस्टर का परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र **(ग)** Engineering

Course (Lateral Entry) Entrance Competitive Examination – 2017 का प्रवेश–पत्र (Admit Card) {यदि प्रवेश–पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा (F.I.R.) की प्रति} **(घ)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त {Deputy Commissioner} द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0–4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, **(ङ)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। (च) दिव्यांग अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अस्पताल प्रमुख द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण–पत्र तथा पूरे शरीर का एक पूर्ण आकार का फोटोग्राफ एवं **(छ)** पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

यदि किसी अभ्यर्थियों के पास स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने हेतु) सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है या वे अपने प्रमाण–पत्र नहीं बनवा सके हैं, लेकिन प्रमाण–पत्रों को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी सीट/शाखा/संस्थान का औपबंधिक आवंटन इस शर्त्त के साथ ही किया जायेगा कि आवंटित संस्थान में नामांकन के समय उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, राँची के पत्रांक–त0शि0प्र0छा0ना0–22/16–608, राँची दिनांक 19.07.2017 के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में निर्गत विहित प्रपत्र में शपथ पत्र जमा कर देंगे।

नोट (a):– सिर्फ प्रवेश पत्र (Admit Card) गुम हो जाने की स्थिति में सनहा/प्रथम् दृष्टया रिपोर्ट (F.I.R.) की प्रति मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रमाण–पत्र के गुम होने के मामले में सनहा/प्रथम् दृष्टया रिपोर्ट (F.I.R.) मान्य नहीं होगा।

4. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य(Essential)है।

5. साक्षात्कार शुल्क :– सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/– का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:–

क) साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। खाता सं0 एवं अन्य जानकारी चालान में उपलब्ध है।

या

ख) साक्षात्कार शुल्क, पोस्ट ऑफिस चालान (P.O. Challan) के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। चालान (P.O. Challan) की प्रति पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, चालान के माध्यम से भारतीय पोस्ट ऑफिस के किसी भी कम्प्यूटराईज डाकघर में जमा किया जा सकेगा। Receipt की एक प्रति, पोस्ट ऑफिस चालान के निर्दिष्ट कॉलम में चिपकानी होगी।

या

ग) साक्षात्कार शुल्क, भारतीय पोस्टल ऑर्डर (Indian Postal Order) के रूप में भी जमा किया जा सकता है।

नोट (b):– साक्षात्कार के समय बैंक/पोस्ट ऑफिस चालान (Challan) की पर्षद प्रति (Board's Copy) या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

6. सीट/शाखा/संस्थान आबंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क की राशि :– अभ्यर्थियों को संस्थान में शाखा अंतर्गत सीट आबंटन कराने हेतु आंशिक नामांकन शुल्क के रूप में ₹ 1,000/– की राशि ली जायेगी। प्रथम् साक्षात्कार के माध्यम से नामांकित अभ्यर्थियों से यह राशि नहीं ली जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा यह राशि निम्न माध्यम से जमा किया जा सकता है:–

क) आंशिक नामांकन शुल्क, बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। आंशिक नामांकन शुल्क, बैंक चालान के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। खाता सं0 एवं अन्य जानकारी चालान में उपलब्ध है।

या

ख) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट जो "Controller of Examination, JCECEB" के पदनाम से देय तथा Ranchi में भुगतेय होना चाहिए।

या

ग) आंशिक नामांकन शुल्क, भारतीय पोस्टल ऑर्डर (Indian Postal Order) के रूप में भी जमा किया जा सकता है।

नोट (c):–साक्षात्कार के समय बैंक चालान(Bank Challan) की पर्षद प्रति (Board's Copy) या डिमान्ड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सीट/शाखा/संस्थान आवंटन नहीं किया जायेगा जिसके लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। यह शुल्क, साक्षात्कार शुल्क के अतिरिक्त होगा।

नोट (d):–यदि अभ्यर्थी द्वारा सीट/शाखा/संस्थान आबंटन के उपरान्त, निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है या नामांकन के उपरान्त नामांकन वापस (Admission Withdraw) करा लिया जाता है तो, यह राशि पर्षद द्वारा ग्रहित (Seize) कर ली जायेगी।

पर्षद द्वारा आयोजित साक्षात्कारों के उपरान्त, अभ्यर्थी द्वारा नामांकन लेने एवं संबंधित संस्थान द्वारा नामांकन की संपुष्टि के आलोक में यह राशि अभ्यर्थी के नामांकन शुल्क मद में सामंजन हेतु अंतिम रूप से नामांकित संस्थान को भेज दी जायेगी।

7. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।

8. साक्षात्कार स्थल :– झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

9. दिनांक 31.07.2017 को साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची (Combined Merit List) के अनुसार आयोजित की जा रही है। अतः आरक्षित कोटि/कोटा यथा SC/ST/BC-I/BC-II के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के समय अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों/शाखाओं/संस्थानों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों/शाखाओं/संस्थानों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र अवश्य लावें।

10. अभियंत्रण पाठ्यक्रम प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश)– 2017 के परीक्षाफल के आधार पर सरकारी, पी0पी0पी0 मोड पर संचालित एवं गैर–सरकारी अभियंत्रण संस्थानों के डिग्री पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत सीटें सिर्फ सरकारी एवं पी0पी0पी0 मोड पर संचालित अभियंत्रण संस्थानों में ही उपलब्ध है।**

साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी :–

10.2 As per PH Rank (विकलांग मेधाक्रमानुसार)

Group Code	Disability Code -1		Disability Code -2		Disability Code -3		Counselling Date & Time
	PH Rank Range		PH Rank Range		PH Rank Range		
	From	To	From	To	From	To	
3	--	--	1	1	1	5	01.08.2017/10:00 AM
4	--	--	--	--	1	4	
5	--	--	--	--	1	1	
7	--	--	--	--	1	1	
8	--	--	--	--	1	1	

नोट (e):– दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन के उपरान्त,यदि दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, राँची के पत्रांक वि0प्रा0/नि0स0–18/14–505 दिनांक 16.06.2017 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार, रिक्त बचे सीटों को

संबंधित कोटि में समायोजित कर संयुक्त मेधाक्रमानुसार साक्षात्कार, निम्न कार्यक्रमानुसार संचालित किया जायेगा।

10.3 As per CML Rank (संयुक्त मेधाक्रमानुसार)

Sl. No.	Group Code	Name of the Course	CML Rank Range		Counselling Date & Time
			From	To	
1	2	Ceramics Technology, Chemical Engineering	1	3	01.08.2017 / 10:00 AM
2	3	Civil Engineering, Civil (RT), E.P.C., Architectural Assistantship	1	367	01.08.2017 / 10:00 AM
3	4	Electrical Engineering, E.C.E., E.I. & C., E.E.E.	1	609	01.08.2017 / 12:00 Noon
4	5	Information Technology, C.S.E., Computer Application	1	317	01.08.2017 /02:00 PM
5	6	Metallurgical Engineering	1	30	01.08.2017 /02:00 PM
6	7	Mechanical Engineering, Automobile Engineering, Manufacturing, F.P.P.T., Production Engineering	1	545	01.08.2017 /02:00 PM
7	8	Mining Engineering, Drilling Technology, Rock Process Technology	1	75	01.08.2017 /02:00 PM
8	1	B.Sc. and Mathematics as subject in Class XII	1	12	01.08.2017 /02:00 PM

Note: As per AICTE Approval Process Handbook 2017-18, the Students belonging to B.Sc. Stream shall be considered only after filling the supernumerary seats in this category with belonging to the Diploma stream.

11. उन्हीं अभ्यर्थियों को पार्श्विक प्रवेश के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में सीट आवंटित किया जायेगा जिनके पास अभातशिप (AICTE) से मान्यता प्राप्त संस्थान का डिप्लोमा पास सर्टिफिकेट हो।

12. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को सीट/शाखा/संस्थान आबंटन की गारंटी नहीं है।

13. साक्षात्कार के समय संस्थान/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय संस्थान/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

14. जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम इस विज्ञापन की कंडिका 11 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि वे इस विज्ञप्ति के माध्यम से ही साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। इस सूचना के आधार पर ही वे निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हो अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। **साक्षात्कार के दौरान कोई अभ्यर्थी सभी वांछित प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित समय के बाद अपने ग्रुप कोड के चालू साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस समय उपलब्ध संस्थानो/सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।**

15. अभ्यर्थी द्वारा मेधा–सह–ईच्छानुसार चालू साक्षात्कार के समय सीट/शाखा/संस्थान का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

16. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

17. साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in और दूरभाष सं॰ 0651–6999170/6999171 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

18. प्रेस में मुद्रण की अशुद्धियों के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

2/7/17

(सुरेन्द्र कुमार, भा॰प्र॰से॰)
परीक्षा नियंत्रक